क्रम संख्या–58 पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

देहरादून, बुधवार, 15 जुलाई, 2020 ई0

आषाढ 24, 1942 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1

संख्या 906 / VII-1 / 2020 / 158ख–04टीसी

देहरादून, 15 जुलाई, 2020

अधिसूचना

सा0प0नि0–11

राज्यपाल, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या 67, सन् 1957) की धारा 23ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए राज्य में खनिजों के अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण को निवारित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात् :–

उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2020

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2020 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं 2. (1) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में :–

(क) "अधिनियम" से खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या 67, सन् 1957) (समय–समय पर यथासंशोधित) अभिप्रेत है;

(ख) "प्राधिकृत अधिकारी" से ऐसा अधिकारी, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस नियमावली के अधीन सरकारी गजट में अधिसूचना में विनिर्दिष्ट ऐसे क्षेत्र के लिए और ऐसे कृत्यों का पालन करने के लिए जिसके लिए उसे अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, अभिप्रेत है और वह भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (अधिनियम संख्या 45, सन् 1860) की धारा 21 के अन्तर्गत लोक सेवक समझा जायेगा;

(ग) "वाहक" से किसी रीति, सुविधा या वाहन अभिप्रेत है जिसके द्वारा खनिज का परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान को किया जाय, जिसमें यांत्रिक युक्ति, व्यक्ति, पशु या गाड़ी भी सम्मिलित है;

(घ) "अनुसंधान कार्य" से बिना किसी वाणिज्यिक उद्देश्य के वैज्ञानिक अध्ययन के प्रयोजन के लिए और उद्योग में उपयोग हेतु खनिज के लाभार्थ और उच्चीकरण के लिए उसकी उपयुक्तता के परीक्षण के लिए किये गये कोई कार्य अभिप्रेत है;

(ड.) 'नियमावली, 1960" से अधिनियम की धारा 13 के अधीन बनाई गई खनिज रियायत नियमावली, 1960 तथा खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन खनिज से भिन्न) रियायत नियमावली, 2016 अभिप्रेत है;

(च) "नियमावली, 2001" से अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन बनाई गयी "उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2001 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (समय–समय पर यथासंशोधित) अभिप्रेत है;

(छ) "नियमावली, 2005" से उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2005 अभिप्रेत है;

(ज) "वैज्ञानिक परीक्षण" से बिना किसी वाणिज्यक उद्देश्य के वैज्ञानिक अध्ययन के प्रयोजन के लिए खनिज के रासायनिक या खनिज विश्लेषण और उसके रासायनिक एवं खनिजीय घटकों एवं गुणों के निर्धारण के लिए किये गये किसी परीक्षण अभिप्रेत है;

(झ) "जिला अधिकारी" से उस जिले के कलेक्टर या उपायुक्त अभिप्रेत है, जिसमें भूमि स्थित है;

(ण) "अभिवहन पास/ई–रवन्ना" से अधिनियम या तद्धीन बनाई गई नियमावली के उपबन्धों के अनुसार निकाले गये किसी खनिज के विधिपूर्ण परिवहन हेतु खनन पट्टाधारक या खनन अनुज्ञा–पत्र धारक या खनिज के भण्डारण हेतु अनुज्ञाधारक द्वारा जारी किये गये पास अथवा विभागीय वेब पोर्टल से निर्गत ई–रवन्ना अभिप्रेत है;

(त) "आदतन अपराधी" से ऐसे अवैध खनिज परिवहनकर्ता अभिप्रेत है, जो एक वर्ष में दो या इससे अधिक बार खनिज का अवैध परिवहन करते हुए पकड़ा गया हो, दोष सिद्ध हुआ हो एवं अर्थदण्ड/अन्य दण्ड से दण्डित हुआ हो;

(थ) "बाजार मूल्य" से प्रचलित उपखनिज की रायल्टी का पांच गुना की धनराशि अभिप्रेत है;

(द) "आयुक्त " से किसी मण्डल के राजस्व प्रशासन का मुख्य भारधारक अधिकारी अभिप्रेत है;

(ध) "निदेशक" से निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;

(न) अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, खनन/भूविज्ञान से भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड में नियुक्त अधिकारियों अभिप्रेत है;

(प) "निदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी" से जनपद स्तर पर तैनात सहायक भूवैज्ञानिक/ खान अधिकारी, उप निदेशक/ भूवैज्ञानिक/उप निदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी अभिप्रेत है;

(फ) "खनन सत्र" से वर्षाकाल के उपरान्त 01 अक्टूबर, से 30 जून तक की अवधि अभिप्रेत है;

(ब) मैदानी क्षेत्र:—मैदानी क्षेत्र से जिला टिहरी गढवाल (नरेन्द्रनगर का मैदानी भाग), पौड़ी गढ़वाल (तहसील कोटद्वार का मैदानी भाग), चम्पावत (तहसील पूर्णागिरी का मैदानी भाग), जिला नैनीताल (तहसील हल्द्वानी, कालाढूंगी, रामनगर का मैदानी क्षेत्र), जिला देहरादून (तहसील ऋषिकेश, डोईवाला, देहरादून, विकासनगर और कालसी का मैदानी भाग), जिला हरिद्वार एवं जिला उधमसिहनगर के सम्पूर्ण भाग अभिप्रेत है;

(भ) पर्वतीय क्षेत्र:— पर्वतीय क्षेत्र से जिला उत्तराकाशी, चमोली, रूद्रप्रयाग, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़, जिला टिहरी गढवाल (तहसील नरेन्द्रनगर का मैदानी भाग छोड़कर), पौड़ी गढवाल (तहसील कोटद्वार का मैदानी भाग छोड़कर), अल्मोडा (सम्पूर्ण भाग), चम्पावत (तहसील पूर्णागिरी का मैदानी भाग छोड़कर), जिला नैनीताल (तहसील हल्द्वानी, कालाढूंगी, रामनगर का मैदानी क्षेत्र छोड़कर), जिला देहरादून (तहसील ऋषिकेश, डोईवाला, देहरादून, विकासनगर और कालसी का मैदानी भाग छोड़कर) अभिप्रेत है;

(म) "जिला खान अधिकारी" से भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई का जनपद में खनन प्रशासन हेतु राज्य सरकार/निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा नामित अधिकारी अभिप्रेत है;

(य) "रिटेल भण्डारण" से ऐसे खनिजों (रेता, बजरी, ग्रिट, डस्ट इत्यादि) आर०बी०एम० एवं बोल्डर को छोड़कर, अभिप्रेत है, जो कि विक्रय के प्रयोजन से भण्डारित किया गया है तथा जिसे इस नियमावली के अन्तर्गत अनुज्ञा प्रदान की गयी है;

(र) "लेखाशीर्षक" से राज्य सरकार के लेखाशीर्षक 0853—अलौह खनन तथा धातुकर्त उद्योग, 102—खनिज रियायती शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क, 01 खनिज रियायत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क अभिप्रेत है;

(2) "शब्द और पद" जो इस नियमावली में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं परन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे जो उनके लिए अधिनियम में दिये गये हैं।

प्रतिषेध 3. कोई भी व्यक्ति, खनन पट्टाधारक या खनन अनुज्ञा—पत्र धारक, स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट/मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट/हॉट मिक्स प्लांट धारक/रेडिमिक्स प्लान्ट या भण्डारण अनुज्ञाधारक द्वारा जारी अभिवहन पास के बिना, किसी खनिज का स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र/खनन अनुज्ञा क्षेत्र, प्लांट के भण्डारण अनुज्ञा स्थल/रिटेल भण्डारण अनुज्ञा स्थल से भिन्न किसी अन्य स्थान पर न तो परिवहन करेगा, न ही उसे ले जायेगा अथवा न ही परिवहन करायेगा और न ही ले जाने का कार्य करायेगा।

अभिवहन पास का प्रदाय और उसके लिए फीस

4. (1) खनन पट्टाधारक या खनन अनुज्ञा–पत्र धारक, स्टोन क्रेशर/ स्क्रीनिंग प्लांट/ मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट/हॉट मिक्स प्लांट धारक/ रेडिमिक्स प्लान्ट या भण्डारण अनुज्ञाधारक, राज्य सरकार या निदेशक द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष किसी खनिज के परिवहन हेतु अभिवहन पास प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारित फीस के साथ एवं रीति के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(2) अभिवहन पास का प्रदाय, सम्बन्धित जिले के जिला खान अधिकारी या निदेशक द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा इस नियमावली या अधिनियम या तदधीन बनाई गई किसी अन्य नियमावली के अधीन किया जायेगा।

अभिवहन पास का जारी किया जाना

5. (1) अभिवहन पास, खनन पट्टाधारक या खनन अनुज्ञाधारक द्वारा राज्य सरकार के विभागीय ई–पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र "क" से मुख्य खनिज के लिए और नियमावली, 2001 के साथ संलग्न ई–पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र एम०एम० 11 में उपखनिज के लिए जारी किया जायेगा।

(2) उप खनिजों के भण्डारण हेतु अनुज्ञाधारक (स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट/ मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट/हॉट मिक्स प्लांट/रेडिमिक्स प्लान्ट के भण्डारण अनुज्ञाधारक एवं रिटेल भण्डारण अनुज्ञाधारक (आर०बी०एम० एवं बोल्डर को छोड़कर), भण्डारण स्थल से विधिपूर्ण राज्य के अन्तर्गत खनिजों के परिवहन के लिए ई–पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र प्रपत्र–"जे" में तथा राज्य के बाहर प्रपत्र–"जे" (ओ0एस0) में अभिवहन पास जारी करेगा।

परन्तु राज्य के बाहर से एवं राज्य से बाहर को आर०बी०एम० एवं बोल्डर (गौण खनिज एवं मुख्य खनिज को छोड़कर) का परिवहन सामान्यतः अनुमन्य नहीं होगा। अत्यन्त विशेष परिस्थितियों में केवल राजकीय कार्य हेतु राज्य सरकार द्वारा यह परिवहन निर्धारित शर्तों के अधीन सीमित अवधि के लिए अनुमन्य किया जा सकेगा।

(3) मुख्य खनिजों के भण्डारण हेतु अनुज्ञाधारक, भण्डार से विधिपूर्ण परिवहन के लिए ई–पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र–"एन" में अभिवहन पास जारी करेगा।

अध्याय–दो
खनिजों का परिवहन

खनिजों के निरीक्षण हेतु जांच चौकियों की स्थापना

6. (1) यदि राज्य सरकार, खनन पट्टा/खनन अनुज्ञा क्षेत्र से निकाले गये खनिजों एवं भण्डारण स्थल से खनिजों के अवैध परिवहन को रोकने की दृष्टि से जांच चौकी की स्थापना को आवश्यक समझे, तो वह राज्य के भीतर किसी स्थान या स्थानों पर राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी एवं/अथवा जिला खान अधिकारी या निदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकारी अधिकारी के पर्यवेक्षण में जांच चौकी की स्थापना की अधिसूचना कर सकती है।

(2) किसी स्थान पर जाँच चौकी की स्थापना गजट मे अधिसूचित की जायेगी।

(3) जांच चौकी का भारसाधक अधिकारी/जिला खान अधिकारी या निदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी होगा, जिसके पास यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि परिवहन किया जा रहा खनिज अभिवहन पास के अनुसार नहीं है, तो ऐसा अधिकारी उपनियम (4) के अनुसार कार्यवाही करेगा।

(4) (क) जांच चौकी का भारसाधक अधिकारी/जिला खान अधिकारी या निदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को खनिज तथा वाहन का अधिहरण (Confiscate) करने का अधिकार होगा।

(ख) जांच चौकी का भारसाधक अधिकारी/जिला खान अधिकारी या निदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, ऐसे खनिज और वाहन की, जो उसके द्वारा अधिगृहित किये गये हैं, प्राप्ति रसीद उस व्यक्ति को देगा जिसके कब्जे या नियंत्रण से उसे अधिगृहित किया गया है।

(ग) जाँच चौकी का भारसाधक अधिकारी/जिला खान अधिकारी या निदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, वाहन वाहक के भारसाधक व्यक्ति को उपनियम (1) और (2) के अधीन स्थापित निकटतम जाँच चौकी या निकटतम पुलिस स्टेशन पर खनिज को ले जाने एवं अपनी अभिरक्षा अथवा पुलिस अभिरक्षा में रखने का निर्देश दे सकता है।

खनिजों का परिवहन

7. (1) खनन पट्टाधारक या खनन अनुज्ञा–पत्र धारक, स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट/मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट के भण्डारण अनुज्ञाधारक, हॉट मिक्स/रेडि मिक्स प्लान्ट के भण्डारण अनुज्ञाधारक या रिटेल भण्डारण अनुज्ञाधारक (आर०बी०एम० एवं बोल्डर को छोड़कर) द्वारा खनिजों के परिवहन हेतु उपयोग मे लाये जा रहे वाहनों के साथ अभिवहन पास/ ई–रवन्ना का रखा जाना आवश्यक होगा। वाहन वाहक का भारसाधक व्यक्ति, उक्त प्रयोजन के लिए जांच चौकी के भारसाधक अधिकारी की मांग पर अभिवहन पास प्रस्तुत करेगा।

(2) खनिज ढोने वाले सभी वाहन वाहक, जॉच चौकी पर रूकेंगे और सम्बन्धित जांच चौकी पर अभिवहन पास की जांच कराने के उपरान्त ही प्रस्थान करेंगे। जांच चौकी का भारसाधक अधिकारी अभिवहन पास का विवरण निर्धारित पंजिका में अंकित कर हस्ताक्षर करेगा। भारसाधक अधिकारी द्वारा अभिवहन पास से सम्बन्धित कोई सूचना पंजिका मे जानबूझकर गलत अंकित करने अथवा सूचना त्रुटिपूर्ण होने व दोष सिद्व होने की दशा मे जांच चौकी के भारसाधक अधिकारी के खिलाफ सुसंगत अधिनियमों/ नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी, जिसमें धारा 218 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही भी सम्मिलित रहेगी।

(3) राज्य सरकार मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत संचालित वी०टी०एस० (Vehicle Tracking System) प्रणाली को खनन परिवहन में उपयोग होने वाले वाहनों पर लागू कर सकेगी।

अध्याय–तीन
खनिजों का भण्डारण

खनिजों के भण्डारण हेतु अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन

8. (1) इस नियमावली के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, खनिज (आर०बी०एम० एवं बोल्डर को छोड़कर) के रिटेल भण्डारण, ईंट रिटेल भण्डारण, ईंट भट्टा परिसर भण्डारण एवं सोपस्टोन भण्डारण/सोपस्टोन ट्रेडर की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन कोई भी व्यक्ति/संस्था/फर्म/कम्पनी सम्बन्धित जनपद के जिला खान अधिकारी कार्यालय मे निर्धारित प्रपत्र–"एच" में चार प्रतियों में वांछित अभिलेखों

एवं निर्धारित आवेदन शुल्क सहित प्रस्तुत करेगा। आवेदन की एक प्रति पावती के रूप में आवेदक को हस्ताक्षर कर वापस कर दी जायेगी। सम्बन्धित जिला खान अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र एवं संलग्नक/अभिलेखों का परीक्षण कर, अपूर्ण अभिलेखों को पूर्ण कराते हुए गठित समिति से स्थलीय निरीक्षण की कार्यवाही हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी को संदर्भित किया जायेगा।"

परन्तु स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट एवं पल्वराईजर प्लान्ट परिसर में उपखनिजों के भण्डारण हेतु आवेदन, राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति में निर्धारित प्रपत्र क्रमशः अनुसूची–2, अनुसूची–5, अनुसूची–6 एवं अनुसूची–7 में प्रस्तुत किया जायेगा।

(क) (i) रिटेल भण्डारण हेतु पर्वतीय क्षेत्र के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल 200 वर्गमीटर तथा मैदानी क्षेत्र हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर स्थल का होना आवश्यक होगा, तथा भण्डारण स्थल में वाहनों के पार्किन्ग, आफिस एवं तोल मशीन हेतु अतिरिक्त 200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल आरक्षित रखना अनिवार्य होगा।

(ii) ईट रिटेल भण्डारण हेतु पर्वतीय क्षेत्र हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल 200 वर्गमीटर तथा मैदानी क्षेत्र हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर स्थल का होना आवश्यक होगा तथा वाहनों के पार्किन्ग एवं आफिस हेतु अतिरिक्त 200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल आरक्षित रखना अनिवार्य होगा।

(ख) वाहन, ऑफिस, तौल मशीन एवं प्लांट के क्षेत्र को छोडकर अवशेष क्षेत्र में खनिज भण्डारण किया जायेगा, जिसकी अधिकतम ऊंचाई 03 मीटर से अधिक नहीं होगी, परन्तु स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी प्लान्ट के परिसर में एक समय में औसतन 05 मी० ऊंचाई तक उपखनिज का भण्डारण किया जा सकेगा।

(ग) आवेदक द्वारा खनिज भण्डारण हेतु खनिज प्राप्त किये जाने वाले वैध स्रोत का अनुबन्ध जिला खान अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर प्रस्तुत किया जाना होगा।

(2) ऐसे प्रत्येक आवेदन हेतु निम्नानुसार अनुज्ञा शुल्क देय होगा, जो निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराया जायेगा :–

1. उपखनिज (आर०बी०एम० एवं बोल्डर को छोड़कर) एवं सोपस्टोन ट्रेडर के रिटेल भण्डारण हेतु 50,000 टन क्षमता हेतु अनुज्ञा शुल्क ₹ 25,000.00 (₹ पच्चीस हजार मात्र) देय होगा तथा इससे अधिक क्षमता बढ़ाने पर प्रति टन ₹ 10, अतिरिक्त शुल्क देय होगा।
2. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट/पल्वराइजर/हॉट मिक्स/रेडिमिक्स प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण हेतु पृथक से शुल्क देय नहीं होगा।

भण्डारण अनुज्ञा स्वीकृति हेतु निर्धारित अनुज्ञा शुल्क का 10 प्रतिशत धनराशि आवेदन शुल्क (बिना वापसी के) आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय तथा अवशेष 90 प्रतिशत की धनराशि अनुज्ञा स्वीकृति के उपरान्त चाहरदीवारी बनाने, धर्मकांटा लगाने एवं सी0सी0टी0वी0 लगाने के उपरान्त ई–रवन्ना जारी होने से पूर्व निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा किया जाना आवश्यक होगा।

(3) भण्डारण अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु जिला खान अधिकारी कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन प्रस्तुत करने के 03 दिन के अन्तर्गत आवेदक द्वारा स्थानीय समाचार पत्र में स्वयं के व्यय पर विज्ञप्ति, जिसमें आवेदक का नाम, पता व आवेदित स्थल का पूर्ण विवरण उल्लिखित हो, इस आशय से प्रकाशित की जायेगी कि यदि किसी स्थानीय व्यक्ति/संस्था/विभाग आदि जो निर्धारित दूरी 100 मीटर के अन्तर्गत निवासरत हो तथा खनिज भण्डारण के प्रस्तावित स्थल से प्रभावित हो अथवा उन्हे कोई आपत्ति हो, तो वे अपनी आपत्ति विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिवस के अन्तर्गत सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

प्रकाशित विज्ञप्ति के उपरान्त यदि किसी स्थानीय व्यक्ति/संस्था/विभाग आदि की आपत्ति प्राप्त होती है तो सम्बन्धित उपजिलाधिकारी एवं खान अधिकारी द्वारा आपत्तिकर्ता एवं आवेदक को सुनने के उपरान्त युक्तियुक्त निर्णय हेतु जिलाधिकारी को अवगत कराया जायेगा। जिलाधिकारी प्रकरण पर 30 दिन के भीतर निर्णय लेंगे अन्यथा की स्थिति में आपत्ति स्वीकार मानी जायेगी अर्थात् भण्डारण आवेदन निरस्त माना जायेगा।

प्रकाशित विज्ञप्ति में निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत यदि किसी स्थानीय व्यक्ति/संस्था/विभाग आदि की आपत्ति प्राप्त नहीं होती है अथवा जिलाधिकारी द्वारा भण्डारण अनुज्ञाधारक के पक्ष में निर्णय लिया जाता है, तो जिलाधिकारी द्वारा ईंट रिटेल भण्डारण एवं ईट भट्टा परिसर भण्डारण हेतु अनुज्ञा स्वीकृति हेतु कार्यवाही की जायेगी। उपखनिज (आर०बी०एम० एवं बोल्डर को छोड़कर) के रिटेल भण्डारण हेतु जिलाधिकारी द्वारा ऐसे आवेदन पत्र को संस्तुति सहित भण्डारण अनुज्ञा स्वीकृति हेतु एक सप्ताह के भीतर मण्डलायुक्त को प्रेषित किया जायेगा तथा सोपस्टोन भण्डारण/सोपस्टोन ट्रेडर की अनुज्ञा स्वीकृति हेतु ऐसे आवेदन पत्र को संस्तुति सहित एक सप्ताह के भीतर निदेशक को संदर्भित किया जायेगा तथा निदेशक द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण कर अनुज्ञा स्वीकृति हेतु प्रस्ताव संस्तुति सहित शासन को प्रेषित किया जायेगा।

(4) आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में प्रस्तावित भण्डारण स्थल अनुज्ञा स्वीकृति हेतु समिति द्वारा उपयुक्त न पाये जाने पर संबंधित जिलाधिकारी द्वारा कारणों का उल्लेख करते हुये आवेदनकर्ता को लिखित रूप से सूचित किया जायेगा।

(5) उपखनिज (आर०बी०एम० एवं बोल्डर को छोड़कर) के रिटेल भण्डारण, ईट भट्टा परिसर भण्डारण, ईंट रिटेल भण्डारण एवं सोपस्टोन भण्डारण/सोपस्टोन ट्रेडर की अनुज्ञा स्वीकृति हेतु आवेदित स्थल की संयुक्त जांच के लिए निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है:-

1. जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी/ मुख्य विकास अधिकारी — अध्यक्ष।
2. संबंधित उप जिलाधिकारी — सदस्य।
3. जिला खान अधिकारी — सदस्य सचिव।

खनिजों के भण्डारण हेतु अनुज्ञा

9. इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुये गठित समिति की जॉच आख्या के आधार पर प्रस्तावित भण्डारण स्थल पर एक समय मे रखे जाने वाली कुल खनिज (आर०बी०एम० एवं बोल्डर को छोड़कर) की मात्रा के रिटेल भण्डारण की अनुज्ञा जिलाधिकारी की संस्तुति के उपरान्त मण्डलायुक्त के द्वारा 05 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत की जायेगी।

सोपस्टोन भण्डारण/सोपस्टोन ट्रेडर की अनुज्ञा जिलाधिकारी व निदेशक की संस्तुति के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा 05 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत की जायेगी।

ईंट भट्टा परिसर भण्डारण एवं ईंट रिटेल भण्डारण की अनुज्ञा जिलाधिकारी स्तर से 05 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत की जायेगी।

मोबाईल स्टोन क्रेशर एवं मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट के परिसर में खनिजों के भण्डारण हेतु भण्डारण अनुज्ञप्ति प्रपत्र–"आई" में अधिकतम 02 वर्ष अथवा परियोजना कार्य पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो, के लिए जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायेगी।

हाट मिक्स प्लान्ट एवं रेडिमिक्स प्लांट के परिसर में खनिजों के भण्डारण हेतु भण्डारण अनुज्ञप्ति, प्रपत्र–"आई" में 03 वर्ष अथवा परियोजना कार्य पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो, के लिए जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायेगी।

अनुज्ञा स्वीकृति के पश्चात् की सभी औपचारिकताएं पूर्ण होने पर, जिला खान अधिकारी का दायित्व होगा कि सभी स्वीकृत अनुज्ञा को ई–पोर्टल से जोड़ा जायेगा।

सभी भण्डारण अनुज्ञाधारक को स्वीकृति से पूर्व जी0एस0टी0 नम्बर लेना अनिवार्य होगा।

खनिज भण्डारण की अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण

10. (1) खनिज (आर०बी०एम० एवं बोल्डर को छोड़कर) भण्डारण की अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण हेतु आवेदन अनुज्ञप्ति की अवधि समाप्त होने के दिनांक से कम से कम 02 माह पूर्व, नियम 8 के उपनियम (2) में निर्धारित आवेदन/अनुज्ञा शुल्क एवं अनुज्ञप्ति के विवरण सहित जिला खान अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। जिला खान अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र एवं आवेदन पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों का जांच/परीक्षण करने तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कराने के उपरान्त गठित समिति की निरीक्षण आख्या सम्बन्धित जिलाधिकारी को अग्रसारित की जायेगी। जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति से इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए जांच करायी जायेगी। गठित समिति की आख्या के आधार पर रिटेल भण्डारण की अनुज्ञा का नवीनीकरण जिलाधिकारी की संस्तुति के उपरान्त मण्डलायुक्त द्वारा याचित अवधि अथवा 05 (पांच) वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत किया जायेगा।

सोपस्टोन भण्डारण/सोपस्टोन ट्रेडर की अनुज्ञा का नवीनीकरण जिलाधिकारी एवं निदेशक की संस्तुति पर राज्य सरकार द्वारा 05 वर्ष की अवधि के लिए किया जायेगा।

ईंट रिटेल भण्डारण एवं ईंट भट्टा परिसर भण्डारण की अनुज्ञा का नवीनीकरण जिलाधिकारी द्वारा 05 वर्ष की अवधि के लिए किया जायेगा।

मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट के परिसर में खनिजों के भण्डारण हेतु पूर्व में स्वीकृत अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण गठित समिति की आख्या के आधार पर 01 वर्ष की अवधि हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट के परिसर में तैयार उत्पाद (आर०बी०एम० एवं बोल्डर को छोड़कर) के भण्डारण हेतु पूर्व मे स्वीकृत अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण गठित समिति की आख्या के आधार पर नवीनीकरण याचित अवधि अथवा 02 वर्ष, जो भी कम हो की अवधि हेतु जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(2) नवीनीकृत भण्डारण अनुज्ञा के आधार पर ई–पोर्टल पर अद्यतनीकरण (Updation) निदेशक द्वारा किया जायेगा।

भण्डारण के मानक एवं अन्य शर्तें

11. (1) कोई व्यक्ति अनुज्ञप्ति प्राप्त किये बिना किसी स्थान पर किसी खनिज का भण्डारण नहीं करेगा।

(2) रिटेल भण्डारण स्थल का सार्वजनिक स्थल, सरकारी वन, रेल मार्ग, नदी आदि से दूरी निम्न प्रकार होगी–

(i) पर्वतीय क्षेत्र :–

क–धार्मिक स्थल से दूरी–50 मी0

ख–शैक्षणिक संस्थान से दूरी–100 मी0
ग–अस्पताल से दूरी– 100 मी0
घ–रेल मार्ग से दूरी–50 मी0
ड.–नदी से दूरी–250 मी०
च–सरकारी वन से दूरी–10 मी0

(ii) मैदानी क्षेत्र :–
क–धार्मिक स्थल से दूरी–300 मी0
ख–शैक्षणिक संस्थान से दूरी–300 मी0
ग–अस्पताल से दूरी– 300 मी0
घ–रेल मार्ग से दूरी–50 मी0
ड़–नदी से दूरी–1500 मी०
च–सरकारी वन से दूरी–100 मी0

परन्तु पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों मे स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट व पल्वराईजर प्लांट के परिसर मे खनिजों के भण्डारण हेतु दूरी के मानक वही होंगे, जो इन प्लांटों की स्थापना/संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट व पल्वराईजर प्लांट नीति के अनुसार होंगे।

(3) कोई व्यक्ति किसी ऐसी भूमि, जो उसकी नहीं है या उसके/उसकी वैध किरायेदारी में नहीं है, का उपयोग खनिजों के भण्डारण के लिए नहीं करेगा।

(4) राज्य सरकार भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की विभागीय वेबसाईट पर तैयार ई–एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा निदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से भुगतान के आधार पर यथा स्थिति ई–फार्म "जे" अथवा ई–फार्म (ओ/एस) तथा आकस्मिक परिस्थिति हेतु मैनुअल "जे" प्रपत्र पुस्तिका की सम्पूर्ति का प्रबन्ध करेगी।

(5) अनुज्ञाधारक को भण्डारण स्थल के परिसर में इलैक्ट्रोनिक तोल मशीन तथा भण्डारण स्थल के प्रवेश एवं निकासी द्वार पर सी0सी0टी0वी0 (रिकार्डिंग सहित) स्वयं अपने व्यय से स्थापित कराया जाना अनिवार्य होगा। अनुज्ञप्तिधारक, सी0सी0टी0वी की रिकार्डिंग संचित करेगा एवं सक्षम अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करेगा।

राज्य सरकार अपने आदेश से सर्विलांस व्यवस्था लागू कर सकेगी।

(6) अनुज्ञाधारक भण्डारण स्थल की चाहरदीवारी एवं अभिलेख रख–रखाव हेतु कार्यालय, धर्मकांटा, loading, unloading हेतु पर्याप्त स्थान की व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेगा।

(7) रिटेल अनुज्ञाधारक, खनिज (आर०बी०एम० एवं बोल्डर को छोड़कर) भण्डारण हेतु भण्डारण स्थल में एक समय में अधिकतम 03 मी0 ऊंचाई तक तथा स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी को प्लान्ट के परिसर में एक समय में औसतन 05 मीटर ऊंचाई तक उपखनिज का भण्डारण कर सकेगा।

भण्डारण स्थल में प्रथम वार्षिक खनन सत्र में, एक समय पर भण्डारण क्षमता अधिकतम 50,000 मीट्रिक टन होगी तथा आगामी वार्षिक खनन सत्रों हेतु एक समय में भण्डारण क्षमता वर्षानुवर्ष गत वार्षिक खनन सत्र की विक्रित मात्रा का 40 प्रतिशत होगी।

स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/मोबाईल स्टोन क्रेशर एवं मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट हेतु क्षमता का निर्धारण निम्नवत् किया जायेगा :—

(i) वर्षा ऋतु आदि हेतु खनन चुगान की एक वर्ष में बंदी की अवधि = 90 दिन।

वर्षा काल (जुलाई–सितम्बर) की अवधि (90 दिन) हेतु कच्चे माल/आर0बी0एम0 की कुल मात्रा अर्थात् स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट हेतु कच्चे माल की एक समय में भण्डारण क्षमता = 90 x टन प्रति घंटा x संचालन अवधि (औसतन 10 घंटा प्रतिदिन) = टन में।

(ii) वर्षा काल से भिन्न अवधि अर्थात अक्टूबर से जून तक की अवधि हेतु कच्चे माल की एक समय में भण्डारण क्षमता 45 x टन प्रति घंटा x संचालन अवधि (औसतन 10 घंटा प्रतिदिन) (टन में)

अनुज्ञाधारक द्वारा उक्त उपनियम की शर्तो का उल्लंघन किये जाने की दशा में, नियम 13 के उपनियम (5) के खण्ड (ग) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(8) (i) स्टोन केशर संचालकों को क्रश्ड मैटेरियल (ग्रिट,डस्ट आदि) की मात्रा पर ₹ 1.00 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि तथा स्क्रीनिंग प्लान्ट संचालकों को छाने गये उपखनिज की मात्रा पर ₹ 0.50 प्रति कुन्तल तथा रिटेल भण्डारण (आर०बी०एम० एवं बोल्डर को छोड़कर) अनुज्ञाधारकों द्वारा उपखनिज का क्रय करने पर उपखनिज की मात्रा पर ₹ 0.25 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में निर्धारित लेखाशीर्षक में अग्रिम जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

(ii) हाट मिक्स प्लान्ट एवं रेडिमिक्स प्लान्ट संचालकों द्वारा बालू या बजरी या बोल्डर या उसके उत्पाद अर्थात् कच्चा माल/पक्का के प्लान्ट में उपयोग की गई मात्रा पर ₹ 1.00 प्रति कुन्तल के समतुल्य धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक में अग्रिम जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

(iii) खनिज सोपस्टोन के भण्डारण अनुज्ञाधारक, ट्रेडरों एवं प्लवराईजर प्लांट भण्डारण अनुज्ञाधारक पर खनिज सोपस्टोन की रायल्टी का 2 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक में अग्रिम अतिरिक्त रूप से पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में जमा किया जाना अपरिहार्य होगा।

(iv) प्रदेश के बाहर से आयतित होने वाले खनिज (आर0बी0एम0 एवं बोल्डर छोड़कर) या उसके उत्पाद तथा ईट या इनके कच्चे माल को राज्य में प्रवेश करने हेतु पंजीकृत अनुज्ञाधारक, खनन उद्यमी द्वारा ई–रवन्ना वैब एप्लीकेशन में उपखनिज का नाम, मात्रा ऑनलाईन दर्ज करेगा तथा अनुज्ञाधारक/खनन उद्यमी द्वारा द्वारा उपखनिज का अभिवहन पत्र (रवन्ना) एवं जी०एस०टी० नम्बर धारित बिल की मूल प्रति संरक्षित की जायेगी। उक्त सूचना खान अधिकारी/उप निदेशक के पास ऑनलाईन पहुंचने पर स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट /भण्डारणकर्ता आदि द्वारा बाहरी राज्यों से लाये गये उपखनिज (क्रय /विक्रय) की मात्रा को अधिकतम 01 सप्ताह की समयावधि के अन्तर्गत जांचोपरान्त उसके ऑनलाईन स्टॉक (Capacity in hand) में जोड़ दिया जायेगा। ऐसे खनिज (आर०बी०एम० एवं बोल्डर छोड़कर) का लेखा एम०आई०एस० पोर्टल पर पृथक से दर्शाया जायेगा। इस प्रकार परिवहन कर लाये गये खनिजों पर प्रचलित रायल्टी आदि दर का 2 प्रतिशत की दर से पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क वेब पोर्टल पर Credit in करने से पूर्व जमा किया जाना अपरिहार्य होगा। उक्त व्यवस्था

प्रत्येक माह में न्यूनतम एक बार निदेशक अथवा निदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसे सभी पंजीकृत अनुज्ञाधारक, खनन उद्यमियों के अभिलेखों का परीक्षण (Scrutiny) कर किया जायेगा तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर इस नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

खनिजों का लेखा–जोखा रखना

12. (1) अनुज्ञाधारक, प्रत्येक समय कय किये गये, भण्डारित किये गये या निर्गमित किये गये खनिजों का ठीक एवं बोधगम्य लेखा–जोखा इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र–''के'' में रखेगा।

(2) अनुज्ञाधारक द्वारा, क्रय एवं विक्रय का समस्त भुगतान चैक/बैंक ड्राफ्ट/आर0टी0जी0एस0/ई–पेमेन्ट के माध्यम से किया जायेगा तथा तत्संबंधी अभिलेखों को संरक्षित किया जायेगा।

(3) अनुज्ञाधारक द्वारा समस्त वित्तीय लेखे Double Entry Accounting System के अनुसार रखा जाना अनिवार्य होगा।

(4) खनिज के भण्डारण हेतु अनुज्ञाधारक स्वयं द्वारा भण्डारित और परिवहन किये गये खनिजों के कय–विकय एवं अवशेष खनिज आदि लेखा की मासिक सूचना आगामी माह की 15 तारीख तक अनिवार्य रूप से जिलाधिकारी, राज्य कर (वाणिज्य कर) विभाग एवं जिला खान अधिकारी को, जिसकी अधिकारिता के भीतर भण्डारण परिसर स्थित है, इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र ''एल'' में प्रस्तुत करेगा।

(5) खनिजों के भण्डारण अनुज्ञाधारक के किसी भी प्रपत्र, ई–प्रपत्र, लेखा–जोखा, ई–लेखा–जोखा, बही रजिस्टर आदि अन्य आवश्यक अभिलेख मांग कर परीक्षण (Scrutiny) करने तथा परीक्षणोपरान्त अनियमितताएं पाये जाने पर स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं प्लवराईजर, रिटेल भण्डारण, सोपस्टोन भण्डरण अनुज्ञाधारक, सोपस्टोन ट्रेडर अनुज्ञाधारक को युक्ति–युक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए गुण–दोष के आधार पर 03 माह के भीतर अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2), धारा 22, धारा 23(क), धारा 23(ख) तथा धारा 24 के अन्तर्गत निदेशक या निदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी एवं जिलाधिकारी आदेश पारित कर सकेंगे।

जाँच एवं शास्ति

13. (1) किसी भी खान में खनिजों के किये गये खनन, अवैध खनन, स्वीकृत भण्डारण, रिटेल भण्डारण, स्टोन क्रेशर प्लान्ट परिसर एवं उसके भण्डारण, स्क्रीनिंग प्लान्ट परिसर एवं उसके भण्डारण, मोबाईल स्टोन क्रेशर परिसर एवं उसके भण्डारण, हॉट मिक्स प्लान्ट परिसर एवं उसके भण्डारण, ईंट भट्टा परिसर एवं उसके भण्डारण, ईट रिटेल भण्डारण, प्लवराईजर प्लान्ट परिसर एवं उसके भण्डारण आदि में, भण्डारित खनिज आदि की जांच के प्रयोजन से या अधिनियम या तद्धीन बनाई गयी नियमावली से सम्बन्धित किसी अन्य प्रयोजन हेतु अधिनियम, की धारा 21 की उपधारा (1), (2), (4A), धारा 22, धारा 23A तथा धारा 23B के अन्तर्गत जनपद के जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी/तहसीलदार/नायब तहसीलदार (अपने अधिकारिता क्षेत्रान्तर्गत)/जिला खान अधिकारी/उप निदेशक, खनन/संयुक्त निदेशक, खनन, अपर निदेशक/निदेशक तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर प्राधिकृत अधिकारी :–

(क) किसी ऐसे भण्डारण परिसर में प्रवेश कर सकता है और उसका निरीक्षण कर सकता है;

(ख) भण्डारण में पड़े हुए खनिजो के स्टॉक को तौल सकता है, माप सकता है या उसकी माप ले सकता है;

(ग) कब्जे में रखे गये किसी भी दस्तावेज बही, रजिस्टर या अभिलेख का परीक्षण कर सकता है;

(घ) ऐसे दस्तावेज बही, रजिस्टर या अभिलेख से उद्धरण ले सकता है या उसकी प्रतिलिपियां बना सकता है;

(ड.) खण्ड (ग) में यथा निर्दिष्ट दस्तावेज, बही, रजिस्टर या अभिलेख को मंगा सकता है या उसे प्रस्तुत करने की आज्ञा दे सकता है;

(च) किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसका खनिज के किसी स्टॉक पर नियंत्रण हो या जो उससे सम्बद्ध हो, बुला सकता है या उसका परीक्षण कर सकता है;

(छ) ऐसी सूचना या विवरण मांग सकता है, जो आवश्यक समझी जाय;

(2) खनिज का अवैध परिवहन किये जाने पर निम्नानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा :–

क्र. सं.	वाहन का प्रकार	अधिरोपित किये जाने वाले अर्थदण्ड (₹ में)	अधिरोपित की जाने वाली रायल्टी का गुणांक
1.	04 पहिया यूटीलिटी एवं छोटे वाहन	5,000	वाहन में लदा हुआ अवैध खनिज की मात्रा का बाजार मूल्य
2.	06 पहिया यूटीलिटी	7,500	वाहन में लदा हुआ अवैध खनिज की मात्रा का बाजार मूल्य
3.	02 पहिया ट्रैक्टर ट्राली	10,000	वाहन में लदा हुआ अवैध खनिज की मात्रा का बाजार मूल्य
4.	04 पहिया ट्रैक्टर ट्राली	15,000	वाहन में लदा हुआ अवैध खनिज की मात्रा का बाजार मूल्य
5.	06 पहिया ट्रक	30,000	वाहन में लदा हुआ अवैध खनिज की मात्रा का बाजार मूल्य
6.	06 पहिया से अधिक ट्रक डम्पर हाईवा आदि हेतु	50,000	वाहन में लदा हुआ अवैध खनिज की मात्रा का बाजार मूल्य
7.	जे0सी0बी0	2,00,000	बिना अनुमति प्रयोग की दशा में
8.	पोकलैण्ड	4,00,000	बिना अनुमति प्रयोग की दशा में

(3) जिला खान अधिकारी, निदेशक या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अवैध खनिजों के परिवहन में पकड़े गये वाहनों का मौके पर शमन करने हेतु भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के मुख्यालय से चालान बुक या विभागीय पोर्टल से जारी किये जाने वाले प्रपत्र की user id एवं password अग्रिम रूप से प्राप्त करेंगे।

(क) चालान बुक निर्गत करने वाले विभागीय अधिकारी द्वारा बुक पर सील इंगित की जानी अनिवार्य होगी। उक्त प्रयोजन हेतु निर्गत एवं प्रयुक्त की गयी चालान बुक की प्राप्तियां एक वर्ष तक संरक्षित रखी जायेंगी।

(ख) खनिजों के अवैध परिवहन करते पकड़े गये वाहनों के शमन हेतु प्रयुक्त की गयी चालान बुक को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मुख्यालय भूतत्व एवं खनिकर्म को वापस की जायेगी।

(ग) अवैध परिवहन हेतु अधिकृत अधिकारी द्वारा शमन के उपरान्त वसूली गयी धनराशि को चालान के माध्यम से जमा कराते हुए रवन्ना/चालान प्रपत्र पर ट्रेजरी चालान संख्या, दिनांक, वसूली गयी धनराशि एवं तालिका में इंगित वाहन का प्रकार हस्ताक्षर सहित प्रत्येक पृष्ठ पर अंकित की जायेगी।

(घ) अवैध परिवहन में पकड़े गये वाहन का मौके पर शमन करते हुए वसूली गयी धनराशि को विभागीय सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा किया जायेगा।

(ङ) खनिजों के अवैध परिवहन करते पकडे गये वाहनों के शमन हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किये गये चालान एवं जमा की गयी धनराशि का विवरण निदेशक एवं सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) (क). एक वर्ष के अन्तर्गत 02 या उससे अधिक बार अवैध खनिज परिवहनकर्ता एवं वाहनस्वामी पर नियम 13 के उपनियम (2) में निर्धारित अर्थदण्ड के अनुसार धनराशि अधिरोपित की जायेगी और यदि वाहन तीसरी बार अवैध खनिज परिवहन में पकड़ा जाता है तो आदतन अपराधी मानते हुए पकड़े गये वाहन को जब्त कर राज्य सरकार में समाहित कर राज्य सम्पत्ति घोषित कर दिया जायेगा।

(ख). खनन पट्टाधारक/भण्डारणकर्ता/स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट भण्डारणकर्ता द्वारा अवैध ई-रवन्ना पर क्रय-विक्रय व परिवहन किये जाने पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधानानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(5) (क) यदि ईट भट्टा परिसर भण्डारण, ईंट रिटेल भण्डारण, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर एवं मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट के परिसर खनिज के स्टॉक में कोई अवैधता पाई जाती है तो जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी या जिला खान अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुज्ञाधारक को नोटिस दिया जायेगा कि वह नोटिस की प्राप्ति के दिनांक से 15 दिन के भीतर अपना पक्ष स्पष्ट करे और यदि नियत समय के भीतर अनुज्ञाधारक का कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है अथवा अनुज्ञाधारक द्वारा प्रस्तुत किया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी या जिला खान अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा खनिज के बाजार मूल्य (रायल्टी के पांच गुना) के रूप में अथवा नीलामी के माध्यम से जो अधिक हो निस्तारित किया जायेगा और

ऐसे अधिगृहीत या समपहृत खनिज के परिवहन हेतु निर्धारित परिवहन प्रपत्र जारी किया जायेगा। यदि जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी या जिला खान अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिरोपित धनराशि अनुज्ञाधारक द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा न किये जाने अथवा अधिरोपित धनराशि के विरूद्ध नियम 14 के अन्तर्गत अपील विचाराधीन/निस्तारित न होने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञाधारक का ई–पोर्टल बन्द किया जायेगा एवं जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी स्वीकृत अनुज्ञप्ति का पर्यवसन किया जा सकेगा।

यदि रिटेल भण्डारण (आर०बी०एम० एवं बोल्डर को छोड़कर) में खनिजों के भण्डारण में कोई अवैधता पाई जाती है तो जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुज्ञाधारक को नोटिस दिया जायेगा कि वह नोटिस की प्राप्ति के दिनांक से 15 दिन के भीतर अपना पक्ष स्पष्ट करे और यदि नियत समय के भीतर अनुज्ञाधारक का कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है अथवा अनुज्ञाधारक द्वारा प्रस्तुत किया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा खनिज के बाजार मूल्य (रायल्टी के पांच गुना) के रूप में अथवा नीलामी के माध्यम से, जो भी अधिक हो निस्तारित किया जायेगा और ऐसे अधिगृहीत या समपहृत खनिज के परिवहन हेतु निर्धारित परिवहन प्रपत्र जारी किया जायेगा। यदि जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिरोपित धनराशि अनुज्ञाधारक द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा न किये जाने अथवा अधिरोपित धनराशि के विरुद्ध नियम 14 के अन्तर्गत अपील विचाराधीन/निस्तारित न होने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञाधारी का ई–पोर्टल बन्द किया जायेगा एवं जिलाधिकारी की संस्तुति के आधार पर मण्डलायुक्त द्वारा स्वीकृत अनुज्ञप्ति का पर्यवसन किया जा सकेगा।

यदि सोपस्टोन भण्डारण, स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं पल्वराईजर प्लांट में खनिजों के भण्डारण में कोई अवैधता पाई जाती है तो जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुज्ञाधारक को नोटिस दिया जायेगा कि वह नोटिस की प्राप्ति के दिनांक से 15 दिन के भीतर अपना पक्ष स्पष्ट करे और यदि नियत समय के भीतर अनुज्ञाधारक का कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है अथवा अनुज्ञाधारक द्वारा प्रस्तुत किया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा खनिज के बाजार मूल्य (रायल्टी के पांच गुना) के रूप में अथवा नीलामी के माध्यम से, जो भी अधिक हो निस्तारित किया जायेगा और ऐसे अधिगृहीत या समपहृत खनिज के परिवहन हेतु निर्धारित परिवहन प्रपत्र जारी किया जायेगा। यदि जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिरोपित धनराशि अनुज्ञाधारक द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा न किये जाने अथवा अधिरोपित धनराशि के विरुद्ध नियम 14 के अन्तर्गत अपील विचाराधीन/निस्तारित न होने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञाधारी का ई–पोर्टल बन्द किया जायेगा एवं जिलाधिकारी एवं निदेशक की संस्तुति के आधार पर शासन द्वारा स्वीकृत अनुज्ञप्ति का पर्यवसन किया जा सकेगा।

(ख) अवैध भण्डारणकर्ता/अवैध खननकर्ता से अधिनियम की धारा 21 की उपधारा–2 एवं उपधारा–5 के अनुसार अर्थ दण्ड धनराशि ₹ 2,00,000/–(₹ दो लाख मात्र) के अतिरिक्त अवैध उत्खनिज खनिज/परिवहन किये जा रहे अवैध खनिज/भण्डारित अवैध खनिज की मात्रा पर रायल्टी का पांच गुना धनराशि आंगणित कर वसूल की जायेगी।

(ग) भण्डारण की जांच/पैमाइश के उपरान्त यदि भण्डारित उपखनिज की मात्रा भण्डारणकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं वास्तविक पैमाईश के अनुसार मिलान करने पर 5 प्रतिशत से अधिक का अन्तर पाया जाता है, तो नियमावली के नियम 13 के उपनियम (5) का खण्ड (ख) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(घ) रिटेल भण्डारणकर्ता द्वारा क्रय एवं विक्रय खनिज का मासिक विवरण निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी कार्यालय, राज्य कर (वाणिज्य कर) विभाग एवं जिला खान अधिकारी कार्यालय में आगामी माह की 15 तारीख तक प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। समयान्तर्गत मासिक विवरण प्रस्तुत न करने पर खनन भण्डारण अनुज्ञाधारक पर प्रत्येक माह ₹ 2000/– का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा।

स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट, पल्वराईजर प्लांट के स्वामी के द्वारा क्रय एवं विक्रय किये गये उपखनिज आदि की मासिक विवरण निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक माह जिलाधिकारी कार्यालय, राज्य कर (वाणिज्य कर)विभाग एवं जिला खान अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। मासिक विवरणी प्रस्तुत न करने पर स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट के स्वामी पर प्रतिमाह ₹ 50,000/– पल्वराईजर प्लांट के स्वामी पर ₹ 25,000/– तथा मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट के स्वामी पर प्रतिमाह ₹ 5,000/– का अर्थदण्ड देय होगा।

(ड़) अवैध खनन से संलिप्त वाहनों/अवैध भण्डारणों को जब्त करने तथा दण्ड अधिरोपित करने हेतु अधिनियम, की धारा 21 की उपधारा (1), (2), (4A), धारा 22, धारा 23A तथा 23B के अन्तर्गत जनपद के जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/जिला खान अधिकारी,/उप निदेशक, खनन/संयुक्त निदेशक, अपर निदेशक/निदेशक तथा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को अधिकृत किया जायेगा।

(च) जो वाहन राज्य के बाहर से एवं राज्य से बाहर को आर०बी०एम० एवं बोल्डर (गौण खनिज एवं मुख्य खनिज को छोड़कर) का ढुलान करते हुए राज्य की सीमा में पकड़ा जायेगा, ऐसे वाहन में लदे आर०बी०एम०, बोल्डर एवं वाहन को जब्त कर लिया जायेगा तथा जब्त किये गये आर०बी०एम०, बोल्डर को नियमानुसार नीलामी के माध्यम से निस्तारित करते हुए जब्त किये गये वाहन के संबंध में नियमावली के नियम 13 के उपनियम (2) में दिये गये प्रावधानानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(छ) भण्डारण स्थल के चारों तरफ चाहरदीवारी/कवर्ड फेंसिंग का निर्माण किया जाना होगा, जो खनिजों/ईंट के भण्डारण की ऊंचाई से कम से कम 01 मी0 ऊंची होगी। भण्डारण की ऊंचाई का सत्यापन जिला खान अधिकारी अथवा जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अथवा निदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

कच्चे माल/तैयार माल के भण्डारण की ऊंचाई निर्धारित मानक से अधिक होने पर सम्बन्धित जिला खान अधिकारी अथवा जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अथवा निदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भण्डारणकर्ता पर ₹ दो लाख का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा, जो निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराया जायेगा।

(6) अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (2) के अनुसार यदि वित्तीय वर्ष में भण्डारणकर्ता/स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट अनुज्ञाधारक पर यदि 02 बार अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाता है तो उस स्थिति में उसकी अनुज्ञप्ति को स्वीकृर्ता अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकेगा।

राज्य सरकार खनिजों के क्रय, विक्रय हेतु राज्य के अन्तर्गत लागू ई–रवन्ना वेब पोर्टल को विस्तारित एवं संशोधित कर सकेगी।

अपील

14. जिलाधिकारी या जिला खान अधिकारी या निदेशक, द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिये गये किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्तिः–

(क) आदेश की संसूचना के दिनांक से 30 (तीस) दिन के भीतर मण्डलायुक्त के समक्ष प्रपत्र "एम" में अपील प्रस्तुत कर सकेगा। मण्डलायुक्त का आदेश अन्तिम होगा, जिसके विरूद्ध कोई अपील/निगरानी शासन के समक्ष प्रस्तुत नहीं की जा सकेगी।

(ख) प्रत्येक अपील के साथ ₹ 10,000.00 फीस, ऐसे रीति व लेखाशीर्षक के अधीन जमा की जाएगी जैसा राज्य सरकार आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें।

निरसन एवं व्यावृत्ति

15. (1) उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) और राज्य में इस नियमावली के प्रारम्भ के ठीक पूर्व प्रवृत्त, इस नियमावली की तत्स्थानी कोई विधि/नीति (जिन्हें इसके पश्चात् इस नियम में निरसित नियम कहा गया है) को निरसित किया जाता है।

(2) उपधारा (1) द्वारा निरसित नियमों का निरसन कर दिये जाने पर भी –

(क) निरसन और ऐसे प्रारम्भ से ठीक पूर्व प्रवृत्त नियमावली के अधीन निकाली गई कोई अधिसूचना, नियम, विनियम, आदेश या सूचना, अथवा की गयी कोई नियुक्ति या घोषणा, अथवा दी गयी कोई छूट अथवा किया गया कोई अधिहरण या अधिरोपित की गयी कोई शास्ति या जुर्माना, काई समपहरण, रद्दकरण, अथवा की गयी कोई अन्य बात या कोई अन्य कार्रवाई, जहां तक इस नियमावली के उपबन्धों से असंगत नहीं है, इस नियमावली के तत्स्थानी उपबन्ध के अधीन निकाली गई, किया गया या की गयी समझी जायेगी।

(ख) निरसित नियमावली के अधीन जारी किये गये या दिए गए ठीक हालत में होने के प्रमाण पत्र का या अनुज्ञप्ति का ऐसे प्रारम्भ के पश्चात्, उन्हीं शर्तों के अधीन और उसी अवधि के लिए, बराबर प्रभाव बना रहेगा, मानो कि वह नियमावली पारित ही नहीं हुई है;

परन्तु, इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से पूर्व से स्वीकृत/संचालित खनिज भण्डारण अनुज्ञाधारकों के पास आसन्न पूर्व तिथि को भण्डारित आर०बी०एम० की सम्पूर्ण निकासी (विक्रय) अधिकतम 06 माह के उपरान्त इन्हें इस नियमावली के तहत रिटेल भण्डारण की अनुज्ञप्ति पुनः प्राप्त करनी होगी, किन्तु इसमें दूरी के मानक पूर्व की नियमावली के अनुसार नवीनीकरण तक रखे जा सकते हैं।

अनुसूची

प्रपत्र –"एच"

खनिजों के भण्डारण हेतु अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन

(नियम 8 देखिए) दिनांक ....

सेवा में,

जिला खान अधिकारी,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
जनपद ....

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2020 के अधीन खनिजों के भण्डारण हेतु अनुज्ञप्ति दी जाय।

2. उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2020 के नियम 8 के अनुसार आवेदन शुल्क ₹ ....ट्रेजरी चालान सं०...................... दिनांक ....को जमा करा दिया गया है।

3. अपेक्षित विवरण नीचे दिये गये है :–

(i) आवेदन का नाम ....
पिता का नाम ....
अस्थायी पता ....
जी०एस०टी० नं० ....

(ii) भण्डारण हेतु आवेदित क्षेत्र का विवरण
खसरा नं० ....
क्षेत्रफल ....
ग्राम/शहर ....
तहसील ....
जनपद ....

(iii) क्या आवेदक निजी व्यक्ति/निजी कम्पनी/सार्वजनिक कम्पनी/फर्म या संघ है ?

(iv) यदि आवेदक :–
(क) एक व्यक्ति है जो उसकी राष्ट्रीयता : ....
(ख) यदि कम्पनी है तो कम्पनी के पंजीकरण प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न की जाय।
(ग) फर्म या संघ है तो फर्म के सभी भागीदारों या संघ के सभी सदस्यों की राष्ट्रीयता ....
(घ) आवदेक का व्यवसाय या उसके कारोबार की प्रकृति ....
(ड) खनिज या खनिजों के नाम, जिन्हें आवेदक भण्डारित करना चाहता है ....
(च) अवधि, जिसके लिये अनुज्ञप्ति अपेक्षित है ....

(v) (क) क्या आवेदक उस भूमि पर सतही अधिकार रखता है, जिसे भण्डारण के लिए वह उपयोग में लाना चाहता है ?
(ख) यदि नहीं, तो क्या भण्डारण के लिए भूमि के स्वामी या अधिभोगी से सहमति प्राप्त कर ली है, यदि हाँ, तो स्वामी या अधिभोगी से प्राप्त लिखित सहमति दाखिल की जाय ....

(vi) भूमि की संक्षिप्त विवरण, विशेष संदर्भ सहित ....
(vii) भण्डारित किये जाने वाले खनिज/खनिजों की मात्रा ....
(viii) खनिज/खनिजों के भण्डारण का उद्देश्य ....
(ix) भण्डारण के लिये उपयोग होने वाली भूमि का मानचित्र ....
(x) भण्डारण आवेदन पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों की सूची.............................

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिये गये विवरण सहीं हैं और मैं/हम कोई अन्य विवरण, जिसके अन्तर्गत आप द्वारा यथा अपेक्षित यथार्थ नक्शे भी हैं, देने को तैयार हूँ/हैं।

स्थान ....

दिनांक ....

भवदीय,

(आवेदक के हस्ताक्षर और नाम)

प्रपत्र –"आई"
खनिजों के भण्डारण हेतु अनुज्ञप्ति
(नियम 9 देखिए)

संख्या ....

1- अनुज्ञप्तिधारी का नाम और पूरा पता ....
....
....
....
....

2- अनुज्ञप्ति की अवधि .... से ....तक

3- भण्डारण के लिए अनुज्ञा प्राप्त खनिजों की मात्रा :

4- प्रत्येक खनिज की एक ही समय में अनुज्ञा प्राप्त मात्रा :

5- भण्डारण का प्रयोजन :

6- खनिजों के भण्डारण हेतु उपयोग होने वाली भूमि की अवस्थिति :–

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	मोहल्ला	अवस्थिति
1	2	3	4	5

स्थान ....

दिनांक ....

अनुज्ञापन प्राधिकारी के
हस्ताक्षर तथा मुहर।

प्रपत्र –"जे"
अभिवहन पास (तीन प्रतियों में)
[नियम 5(2) देखिए]

पुस्तक संख्या
अभिवहन पास क्रमांक संख्या

1. भण्डारण के स्वामी का नाम, पूर्ण पते सहित — दिनांक .... समय

2. भण्डारण स्थल का विवरण — गाटा संख्या .... ग्राम
तहसील एवं जिला ....

3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गयी अनुज्ञा का विवरण — आदेश संख्या ....
दिनांक ....

4. अनुज्ञा की वैध दिनांक
5. परिवहन किये जा रहे खनिज / खनिजों का नाम
6. निर्गमित किये जा रहे खनिज की मात्रा (घनमीटर में)
7. गन्तव्य स्थान — कहां से ....
कहां तक ....
8. वाहन के प्रकार का विवरण (ट्रक, ट्रैक्टर, ट्राली की दशा में वाहन का रजिस्ट्रीकरण संख्या इंगित करें) — प्रकार : (ट्रक / ट्रैक्टर)
पंजीकरण संख्याः
9. परेषण के भारसाधक व्यक्ति के हस्ताक्षर, पूरा नाम पता सहित :
10. पास जारी करने वाले व्यक्ति के पूर्ण हस्ताक्षर दिनांक एवं समय सहित :

प्रपत्र –"के"
खनिजों के भण्डारण और प्रेषण का लेखा रजिस्टर
{नियम 12(1) देखिए}

1- भण्डार के स्वामी का नाम पूरा पता सहित :
भण्डारित सामग्री का विवरण :
 (I) दिनांक
 (II) खनिज/खनिजों का नाम
 (III) खनिज/खनिजों की मात्रा
 (IV) प्रदायकर्ता/विक्रेता/पट्टाधारक/अनुज्ञा–पत्रधारक का नाम :

2- क्रय किये गये खनिज/खनिजों का विवरण :
 (I) (क) एम0एम0 11/प्रपत्र–एन की पुस्तक संख्या एवं क्रम संख्या दिनांक सहित:
 (ख) उस पट्टाधारक का अनुज्ञा–पत्र धारक का नाम, जिससे खनिज कय किया गया है।
 (II) भण्डारण के लिये क्रय किये गये या लाए गये खनिज/खनिजों के परिवहन के प्रकार का विवरण:
 (III) भण्डारण के लिये प्राप्त किये गये खनिज के क्रय का मूल्य (पट्टेदार या अनुज्ञा–पत्र धारक होने की दशा में अपेक्षित नहीं है):
 (IV) भण्डारण के लिये क्रय की गयी खनिजवार कुल मात्रा:

3- प्रेषण का विवरण :
 (I) दिनांक
 (II) खनिज/खनिजों का नाम मात्रा सहित :
 (III) नियम 6(4) के अधीन यथाविहित जारी किए गये अभिवहन पास की संख्या और दिनांक
 (IV) प्रेषण का गन्तव्य स्थान –
 कहां से .... कहां को ....
 (V) भण्डारण स्थल के बाहर निर्गमित किये गये खनिज/खनिजों के परिवहन के प्रकार का विवरण पंजीकरण संख्या सहित
 (VI) परेषण के भारसाधक व्यक्ति का पूरा नाम एवं पता :
 (VII) भण्डार से परिवहन किये गये खनिज का विक्रय मूल्य :
 (VIII) खनिजवार अतिशेष स्टॉक ।

प्रपत्र –"एल"
मासिक विवरणी
{देखिए नियम 12(4)}

सेवा में,

1- जिलाधिकारी,
जनपद ....

2. जिला खान अधिकारी,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
जनपद ....

....माह ....के लिये विवरणी

1. भण्डारण के स्वामी का नाम और पता ....
2. परिसर, जहां खनिजों का भण्डारण किया गया है, की अवस्थिति और स्वामित्व यथा :–
गाटा सं0 .... ग्राम ....
तहसील ....जिला ....
3. खनिज के भण्डारण हेतु जिला प्राधिकारी द्वारा जारी आदेश की संख्या और दिनांक ....
....
....
4. खनिजों के स्टॉक का विवरण जैसा नीचे सतम्भ में दिया गया है :–

खनिज/खनिजों का नाम	प्रत्येक खनिज का प्रारम्भिक स्टॉक (घन मी0 में)	माह के दौरान प्राप्त खनिज/खनिजों की कुल मात्रा (घन मी0 में)	माह के दौरान निर्गमित खनिज/खनिजों की कुल मात्रा (घन मी0 में)	माह के दौरान जारी किये गये अभिवहन पासों की कुल सं0 दिनांक सहित	निर्गम हेतु प्रयोग किये गये ट्रक या ट्रैक्टर या ट्राली की कुल संख्या	परिवहन के प्रकार का विवरण (ट्रक/ट्रैक्टर/ट्राली की रजिस्ट्रीकरण संख्या)	खनिजवार अंतिम स्टॉक (घन मी0 में)	अभ्युक्ति यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7	8	9

स्थान ....
दिनांक ....

अनुज्ञप्तिधारी के हस्ताक्षर

प्रपत्र –"एम"
अपील हेतु आवेदन का आदर्श प्रपत्र
(तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाये)
(नियम 14 देखिए)

सेवा में,

महोदय,

उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमवली, 2020 के उपबंधों के अधीन .... द्वारा पारित आदेश सं0 .... दिनांक .... के विरूद्व एक अपील दायर की जा रही है। अपेक्षित विवरण नीचे दिये गये हैं :–

1. अपील दायर करने वाले व्यक्ति / व्यक्तियों / फर्म या कम्पनी का नाम और पता..
2. व्यक्ति / व्यक्तियों या फर्म या कम्पनी का व्यवसाय..
3. उस प्राधिकारी जिसके विरूद्व अपील दायर की जा रही है, के आदेश संख्या और दिनांक (प्रतिलिपि संलग्न की जाये)..
4. अपीलार्थी / खनिजों, जिसके लिये अपील दायर की जा रही है ....
5. खनिज / खनिजों, जिनके लिये अपील दायर की जा रही है ....
6. उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2020 के नियम 14 के खण्ड (ख) में यथा विहित रीति के अपील के लिये जमा किये गये ₹ 10,000 की विहित फीस का विवरण–खजाना चालान सं0 (प्रति संलग्न की जायें) दिनांक ....
7. क्या प्रतिवादित आदेश के संसूचित किये जने के दिनांक के 30 (तीस) दिन के भीतर अपील दायर की गयी है ? ....
8. यदि नहीं तो उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमवाली, 2020 के नियम 14 के खण्ड (क) के अधीन दिये गये उपबन्ध के अनुसार विहित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत न किये जाने का कारण ....
9. बनाये गये पक्ष / पक्षकारो, यदि कोई हो, के नाम व पूरे पते ....

10. इसके साथ संलग्न अपील की प्रतियों की संख्या ....

11. अपील का अधार
(विवरण पृथक–पृथक प्रस्तुत किये जा सकते हैं)
(i) संक्षिप्त तथ्य
(ii) आधार
(iii) प्रार्थना

12. यदि अपील मुख्तारनामा धारक द्वारा दायर की गयी है, तो ऐसे मुख्तारनामे को संलग्नक किया जाय।

संलग्नक :–

1.
2.
3.

स्थान ....
दिनांक ....

भवदीय,

अपीलार्थी के हस्ताक्षर
और पूरा पता

प्रपत्र –"एन"
मुख्य खनिज भण्डारण से परिवहन के लिये अभिवहन पास
(नियम 5 (3) देखिए)

दिनांक .... समय..

1- पट्टाधारी या अनुज्ञप्तिधारी का नाम ....
2- खान की अवस्थिति ....
3- खनिज/खनिजों का नाम ....
4- खनिज/खनिजों की मात्रा ....
5- किस प्रयोजन या उद्योग में खनिज का प्रयोग किया जायेगा ....
6- गन्तव्य स्थान ....से ....तक
7- परिवहन साधनों का विवरण (यदि वाहन हो तो उसकी रजिस्ट्रीकरण संख्या)..
8- खनिज ले जाने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर और अंगुष्ठ चिन्ह ....
9- परेषण के भारसाधक व्यक्ति का पूरा नाम और पता ....
10- परेषण के भारसाधक व्यक्ति के पूर्ण हस्ताक्षर ....
11- अभिवहन पास जारी करने वाले व्यक्ति का नाम सहित पूर्ण हस्ताक्षर ....

टिप्पणी : (1) प्रतिपर्ण खान में रख लिया जायेगा।
(2) दो प्रतिपर्ण परेषण के भारसाधक व्यक्ति को दिये जायेंगे, जिसमें से एक प्रतिपर्ण पास को जांच करने वाले सरकारी सेवक द्वारा ले लिया जायेगा।

प्रपत्र– "क"

मुख्य खनिजों के खनन पट्टों से खनिज के परिवहन का प्रपत्र

(नियम 5(1) देखिए)

दिनांक .... समय ....

1. खनन पट्टाधारक का नाम ....
2. खदान का नाम व उसकी स्थिति...
3. खनिज / खनिजों का नाम ....
4. खनिज / खनिजों की मात्रा....................................
5. खदान से बाहर भेजे गये खनिज की मात्रा..............................
6. खनिज का उपयोग किस कार्य अथवा उद्योग में किया जायेगा।
7. गन्तव्य स्थान कहाँ से.. कहाँ तक...
8. खनिज किस वाहन से भेजा जा रहा .... है, उसका विवरण (यदि मोटर गाड़ी / ट्रक से भेजा जा रहा हो, तो उसकी निबन्धन सं0 लिखी जाय और यदि अन्य साधनों से भेजा जाय, तो उसका विवरण दिया जाय।)
9. खनिज ले जाने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर अथवा अंगूठा ।
10. प्रेषण प्रभारी व्यक्ति का विवरण।
    (क) प्रेषण प्रभारी व्यक्ति का नाम.........................
    (ख) पता.........................
11. पास जारी करने वाले व्यक्ति का विवरण ।
    (क) प्रेषण प्रभारी व्यक्ति का नाम.........................
    (ख) पता.........................

आज्ञा से,

ओम प्रकाश,
अपर मुख्य सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 09 औ0वि0 / 255–2020–100+200 (कम्प्यूटर / रीजियो)।

क्रम संख्या–45

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 15 अप्रैल, 2021 ई0

चैत्र 25, 1943 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1

संख्या 622/VII-A-1/2021/158ख/04टीसी

देहरादून, 15 अप्रैल, 2021

अधिसूचना

सा0प0नि0–12

राज्यपाल, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या 67 वर्ष 1957) की धारा 23ग के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2020 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2021

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2021 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 15 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2020 के स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 15 के उपनियम (2) के खण्ड (ख) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

Scanned with CamScanner

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
निरसित नियमावली के अधीन जारी किये गये या दिए गए ठीक हालत में होने के प्रमाण पत्र का या अनुज्ञप्ति का ऐसे प्रारम्भ के पश्चात्, उन्हीं शर्तों के अधीन और उसी अवधि के लिए, बराबर प्रभाव बना रहेगा, मानो कि वह नियमावली पारित ही नहीं हुई है; परन्तु, इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से पूर्व से स्वीकृत/संचालित खनिज भण्डारण अनुज्ञाधारकों के पास आसन्न पूर्व तिथि को भण्डारित आर०बी०एम० की सम्पूर्ण निकासी (विक्रय) अधिकतम 06 माह के उपरान्त इन्हें इस नियमावली के तहत रिटेल भण्डारण की अनुज्ञप्ति पुनः प्राप्त करनी होगी, किन्तु इसमें दूरी के मानक पूर्व की नियमावली के अनुसार नवीनीकरण तक रखे जा सकते हैं।	निरसित नियमावली के अधीन जारी किये गये या दिए गए ठीक हालत में होने के प्रमाण पत्र का या अनुज्ञप्ति का ऐसे प्रारम्भ के पश्चात्, उन्हीं शर्तों के अधीन और उसी अवधि के लिए; बराबर प्रभाव बना रहेगा, मानो कि वह नियमावली पारित ही नहीं हुई है; परन्तु, इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से पूर्व से स्वीकृत/संचालित खनिज भण्डारण की अनुज्ञा स्वीकृत अवधि तक वैध रहेगी, जिसमें स्वीकृत अनुज्ञा के अनुसार आर०बी०एम० एवं बोल्डर का क्रय/विक्रय किया जा सकेगा।

आज्ञा से,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम,
सचिव।

Scanned with CamScanner

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1
संख्याः 1704 VII-A-1 / 2021 / 158ख / 2004टीसी
देहरादून, दिनांकः 30 सितम्बर, 2021

अधिसूचना संख्याः 1671 / VII-A-1 / 2021 / 158ख / 2004टीसी, दिनांक 30 सितम्बर, 2021 द्वारा उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2021 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. मण्डलायुक्त, कुमाऊं / गढ़वाल, नैनीताल / पौड़ी, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग–4 में मुद्रित कराकर इसकी 50 प्रतियां औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1 को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(एन०एस० डुमरियाल)
संयुक्त सचिव

Scanned with CamScanner

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1
संख्याः 1641/VII-A-1/2021/158ख/2004टीसी
देहरादून, दिनांकः 30 सितम्बर, 2021

अधिसूचना

राज्यपाल, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या 67 वर्ष 1957) की धारा 23ग के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2020 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2021

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2021 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 13 का अंतःस्थापन 2. (3) उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2020 के नियम 13 के उपनियम (5) के खण्ड (छ) के पश्चात् एक नया नियम खण्ड (ज) निम्नवत अंतःस्थापित कर दिया जायेगा अर्थात् :–

5.(ज). राज्य क्षेत्रान्तर्गत स्टोन क्रेशर प्लांट स्वामियों/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामियों/अवैध खननकर्ताओं/अवैध खनिज परिवहनकर्ताओं/अवैध खनिज भण्डारणकर्ताओं पर अवैध खनन, भण्डारण व परिवहन के प्रकरणों में अधिरोपित ₹ 2.00 लाख अर्थदण्ड एवं खनिज की मात्रा पर तत्समय प्रचलित रायल्टी का 02 गुना की धनराशि अधिरोपित कर ऐसे प्रकरणों का निस्तारण एक मुश्त समाधान योजना (One Time Settlement Scheme) के अन्तर्गत निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा किया जा सकेगा। ऐसे प्रकरणों में उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2001 के नियम 58 के अन्तर्गत लगने वाले 24 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज तथा इस संबंध में यदि राजस्व विभाग द्वारा आर०सी० निर्गत की गयी है, तो राजस्व विभाग द्वारा लिये जाने वाले Collection Charges से छूट प्राप्त होगी।

उक्तानुसार एक मुश्त समाधान योजना हेतु आवेदन निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड के समक्ष किया जायेगा। निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा प्राप्त आवेदनों का निस्तारण 02 माह की समयावधि के भीतर किया जायेगा।

उक्त प्रावधान इस नियमावली के प्रख्यापित होने की तिथि से 02 माह तक ही प्रवृत्त एवं प्रभावी होगा।

आज्ञा से,

(आर० मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

Scanned with CamScanner